

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

अख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज लखत बनाम सुरेश वर्मा मु. सं. 54/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.04.25	<p> आज पत्रावली पेश हुई तफ्ती व तकील वादी को रक-रक कर कई बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी इयाजिब नही आया। ऐसी स्थिति में यह स्थल छोड़ है कि वादी अपने वाद पत्र को प्रति गंभीर नही है और वाद पत्र को चलाय नही चाहता है। </p> <p> अतः वादी का वाद पत्र अदालत पेशी व अदालत दायरी में खारिज किया जाता है पत्रावली फलत मुक्त होकर वाद तकील वादिल दफ्तार है। </p> <p> आदेश सुनाय गयी Mant </p>	